



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र  
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बैंगलूरु - 560 037  
MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1942 / Type Approval Number: 1942

मद / FOR ITEM: इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवेन हाइड्रालिक पंप (ईएमडीपी) – 11.5 एलपीएम  
पार्ट सं. 113800000

Electric Motor Driven Hydraulic Pump (EMDP) – 11.5 LPM  
Part Number: 113800000

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड एक्स्प्रेस रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (एएसईआरडीसी) मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीस प्रभाग, लखनऊ - 226 016, द्वारा उत्पादित, "इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवेन हाइड्रालिक पंप (ईएमडीपी) – 11.5 एलपीएम", पार्ट सं.: 113800000, को जनरल असेंब्ली आरेखन सं.: 113800000-111, रिविजन सं.:/इश्यू सं.: 01, दिनांक 02 फरवरी 2015, के अनुसार एलसीए (नेवी) वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (लखनऊ) के रूपरेखाओं से नियन्त्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं.: 113800000-224, इश्यू सं.: 01, दिनांक 07 दिसंबर 2009 तथा टाइप टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं.: 113600000-154, इश्यू सं.: 04, दिनांक 22 मार्च 2002 एवं क्वालिफिकेशन टाइप टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं.: 113600000-154, इश्यू सं.: 1, दिनांक 20 नवंबर 2007 हेतु अनुशेष के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए'में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Electric Motor Hydraulic Pump (EMDP) – 11.5 LPM" bearing Part No.: 113800000, designed and developed by Aerospace Systems and Equipment Research & Design Centre (ASERDC) M/s Hindustan Aeronautics Limited, Lucknow – 226 016 and manufactured M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow – 226 016, as per General Assembly Drawing No.: 113800000 – 111, Revision No.:/Issue No.: 01, dated: 02<sup>nd</sup> February 2015 is approved for use on LCA (NAVY) aircraft. The product has been tested as per Governing Technical Specification Document No.: 113800000 – 224, Issue No.: 01, dated: 07<sup>th</sup> December 2009 and Type Test Schedule Document No.: 113600000 – 154, Issue No.: 04, dated: 22<sup>nd</sup> March 2002 and Addendum to Qualification/Type Test Schedule Document No.: 113600000 – 154, Issue No.: 1, dated: 20<sup>th</sup> November 2007 as outlined by RCMA (Lucknow). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ / Page 01 of 02

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superseded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फ़िडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (लखनऊ), से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> December 2022 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Lucknow), for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बैंगलूरु -560037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.*

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.*

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए'/ Appendix 'A'  
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए./TA-1942  
दिनांक/Date: 25 January 2018  
फैक्स सं./Fax No.: 080 – 2523 0856

  
पी. जयपाल / P. JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)